UPET010042892015

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/</u>

<u>अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, एटा।</u>

<u>उपस्थितः मनीषा - 'एच०जे०एस०', J.O. CODE UP6137</u>

<u>एन०डी०पी०एस० वाद संख्या- 40/2015</u>

राज्य **.....अभियोजन**

बनाम

संतरा बंजारा उम्र 50 वर्ष पुत्र खानू, निवासी- कुचैला, थाना- दन्नाहार, जिला- मैनपुरी **.....अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या- 77/2015,
धारा- 8/22 स्वापक औषधि और
मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985,
थाना- राजा का रामपुर, जिला एटा।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से:-</u>

1- श्री निशान्त पाठक, विशेष लोक अभियोजक

2- श्री राकेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

<u>अभियुक्त पक्ष की ओर से:-</u>

स्वंय अभियुक्त

निर्णय	**अभियुक्तः दोषसिद्ध**

<u>-निर्णय-</u>

1. सत्रवाद संख्या- 40/2015 राज्य बनाम संतरा बंजारा, मु०अ०स०- 77/2015, अंतर्गत धारा- 8/22 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे निर्णय में संक्षिप्तता की दृष्टि से "एन०डी०पी०एस०, एक्ट" अंकित किया जायेगा), थाना- राजा का रामपुर, जिला एटा में अभियुक्त संतरा बंजारा का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2. वादी मुकदमा उ०नि० नरेश कुमार, थाना- राजा का रामपुर, जिला एटा के द्वारा फर्द बरामदगी तैयार की गयी, जो निम्नवत है:- "दिनांक 20/4/015 को मैं si मय हमराही hcp जुम्मन खाँ व् कॉ० 170 सोवरन सिंह के थाने से बहवाले रपट न० 35 समय 19.35 बजे वास्ते जाँच अहकामात तलाश वाँछित अपराधी विवेचना मर्जुआत में रवाना होकर कस्बा राजा का रामपुर में खैरपुरा की तरफ जा जा रहे थे।

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.04.01 16:55:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जैसे ही हम खैरपुरा तिराहे पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खैरपुरा रोड पर खड़ा था। हम पुलिस वालों को देखकर तेजी से दीपा की तरफ तेज कदमों से जाने लगा व् आधार शक उसके पास मोटर साइकिल ले जा कर रोक कर उसे रुकने को कहा तो और तेज कदमों से चलने लगा। जिसे घेर कर दबिश देकर तिराहे से करीब 100 कदम की दूरी पर ग्राम दीपा की तरफ जाने वाले रास्ते पर समय करीब 00.40 बजे पकड़ लिया पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम संतरा बंजारा s/o खानू s/o खानू निवासी ग्राम कुचैला थाना दन्नाहार मैनपुरी जिला मैनपुरी बताया भागने का कारण पूँछने पर बताया कि मेरे पास नशीला पाउडर डायजापाम है जिसकी वजह से भाग रहा था। तब उसे उसके अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया कि आपको यह अधिकार है कि आप अपनी जामातलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर दे या आप कहे तो यहीं बुलवाया जा सकता है। तब वह कहने लगा कि जब मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास डायजापाम पाउडर है तो अब आप ही मेरी जामातलाशी लें मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मै जामातलाशी के लिये न कहीं जाना चाहता हूँ और न यहाँ किसी को बुलवायें। इस बात पर सहमति पत्र तैयार कर जिसपर अभियुक्त ने हस्ताक्षर बनाये जामातलाशी लेने पर उसकी दाहिने पैंट की दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पन्नी जिसमे सफेद पाउडर है बरामद हुआ उसके बारे में पूछने पर बताया कि यह नशीला डायजापाम पाउडर है। जिसे में जहर खुरानी गिरोह को बेचता हूँ। जिसको कॉ० राजीव से इलेक्ट्रोनिक तराजू राजा का रामपुर से मंगवाकर तौला गया तो बरामद डायजापाम का वजन करीब 400 ग्राम पन्नी सहित एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर बनाया गया और अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 8/22 ndps act से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर ही गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया गिरफ्तारी के समय मा० उच्चतम न्यायालय व् मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंच कर सम्बन्धियों को दी जायेगी। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाह देने को कहा गया तो बुराई भलाई का वास्ता देकर गवाही देने से मना किया। फर्द मौके पर ही टॉर्च की रोशनी में बनायी गयी है। फर्द हमाराहियों को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर गवाही बनवाये गये। अभियुक्त की सूचना अफसरानवाला को दी जा रही है।"

3. फर्द के आधार पर घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर, नक्शा-नजरी तैयार किया गया। समस्त विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त संतरा बंजारा के विरूद्ध धारा- 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट, एटा द्वारा अभियुक्त संतरा बंजारा के विरूद्ध दिनांक 02.01.2018 को स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/22 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इनकार किया तथा विचारण की याचना की मॉग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपना मामला सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में 01 साक्षी को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:-

1.	नरेश कुमार	पी०डब्लू०- 01, उ०नि०

6. अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी अभिलेख प्रस्तुत कर उन्हें प्रमाणित कर साबित कराया गयाः-

1.	सहमति पत्र	प्रदर्श क- 01	पी०डब्लू०- 01 द्वारा साबित किया गया।
2.	गिरफ्तारी मीमो	प्रदर्श क- 02	पी०डब्लू०- 01 द्वारा साबित किया गया।
3.	फर्द	प्रदर्श क- 03	पी०डब्लू०- 01 द्वारा साबित किया गया।
4.	नशीला पाउडर डायजापाम	वस्तु प्रदर्श- 01	पी०डब्लू०- 01 द्वारा साबित किया गया।
5.	पन्नी	वस्तु प्रदर्श-02	पी०डब्लू०- 01 द्वारा साबित किया गया।
6.	कपड़ा पुलिंदा	वस्तु प्रदर्श-03	पी०डब्लू०- 01 द्वारा साबित किया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है-

7.(1) अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम **पी०डब्लू०-1** उ०नि० नरेश कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 20.04.15 को समय 19:35 बजे जीडी 35 पर थाना हाजा से तलाश वांछित जांच एकामात विवेचना वर्जुआत रवाना होकर राजा का रामपुर कस्बा से निकलते हुए खैरपुरा तिराहे की तरफ जा रहे थे। मेरे साथ एच०सी०पी जुम्मन कॉ० 170 सोवरन सिंह थे। जैसे ही हम अपनी अपनी मोटरसाइकिल से खैर पुरा तिराहे पहुंचे तो खैर पुरा की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। हम पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से ग्राम दीपा की तरफ चलने लगा। शक होने पर एकबारगी दबिश देकर समय करीब 00.40 बजे पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संतरा बंजारा पुत्र खानू निवासी ग्राम मुचला,

थाना- दन्नाहार, जिला- मैनपुरी बताया। भगाने का कारण पूछने पर उसने अपने पास नशीला पाउडर डायजापाम होना बताया। जिसकी वजह से मैं भाग रहा था। तब हम पुलिस वालों ने एनडीपीएस की धारा 50 में दिए गए उसके अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया कि आपको यह अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर भी दे सकते हैं यदि आप कहें तो मौके पर भी उन्हें बुलाया जा सकता है। उसने हम पुलिस वालों को बताया कि साहब जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है एवं मैंने सच्चाई बता ही दी तो आप पर मुझे पूरा विश्वास है आप ही मेरी जामातलाशी ले लीजिए। इस पर सहमति तैयार कर सहमति हस्ताक्षर कराए गए। जामा तलाशी लेने पर उसके पहने पैंट की दाहिनी जेब से सफेद रंग की प्लास्टिक की पन्नी में सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर 400 ग्राम पाया गया। कॉ० राजीव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगाकर वजन कराया गया था। मौके पर लिखा पढ़ी कर गिरफ्तारी मीमो फर्द बरामदगी तैयार कर हमराहियान के हस्ताक्षर करवाए गए तथा एक प्रति अभियुक्त को देकर उसकी निशानी अंगूठा बनाया गया। बरामद माल मुल्जिम को थाने से ले जाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सहमति पत्र 6अ पर प्रदर्श क- 01 डाला गया। गिरफ्तारी मेमो 13ब/1 पर प्रदर्श क-02 डाला गया। फर्द बरामदगी कागज संख्या 24अ पर प्रदर्श क-03 डाला गया। घटना के संबंध में विवेचक ने बयान लिया था। अभियुक्त से बरामद माल पुलिंदा सील माल पुलिंदा न्यायालय में खोला गया तो कपड़े के अंदर सफेद पॉलिथीन में नशीला पाउडर निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श-01, पन्नी पर वस्तु प्रदर्श-02 तथा कपड़ा पुलिंदा पर वस्तु प्रदर्श-03 डाला गया।"

8. अभियुक्त संतरा बंजारा का बयान 313 द०प्र०सं० दिनांक 30.03.2026 को अंकित किया गया। इस स्तर पर अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकृति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया जाना कथन किया गया, अभियोजन कथानक को स्वीकार किया तथा कथन किया कि जी माफ कर दिया जाय़।

9. विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

10. फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 21.04.2015 को समय 00.40 बजे स्थान खैरपुरा तिराहे से दीपा मार्ग, अंतर्गत थाना क्षेत्र राजा का रामपुर जिला एटा में अभियुक्त को वादी मुकदमा एस०आई० नरेश कुमार व उनके अधीनस्थ पुलिस कर्मचारीगण द्वारा संदिग्धावस्था में गिरफ्तार किये गये तथा उसकी जामातलाशी पर पन्नी में रखा नशीला पाउडर डायजापाम बरामद हुआ है। अभियोजन की तरफ से

प्रस्तुत साक्षी के साक्ष्य को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/22 एन०डी०पी०एस० का आरोप संदेह से परे सिद्ध है।

11. एन०डी०पी०एस० अधिनियम के साथ संलग्न सूची में प्रवृष्ठि संख्या 194 में डायजापाम नशीले पदार्थ की श्रेणी में उल्लिखित है जिसकी न्यून मात्रा 20 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 500 ग्राम अंकित है। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 2(VII-a) में वाणिज्यिक मात्रा को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार- "**स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में "वाणिज्यिक मात्रा" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा अभिप्रेत है।**"

अभियुक्त के कब्जे से बरामद शुदा 400 ग्राम सफेद पाउडर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज संख्या- 10अ के अनुसार बरामद पाउडर डायजापाम पाया गया। अतः एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 2(VII-a) के अनुसार 500 ग्राम डायजापाम से अधिक की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में आयेगी चूँकि अभियुक्त के कब्जे से 400 ग्राम डायजापाम बरामद होने का कथन किया गया है अतः यह मध्यवर्ती श्रेणी में आयेगा। अतः अभियुक्त संतरा बंजारा को धारा 8/22(ख) एन०डी०पी०एस० के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय में जिला कारागार से हाजिर है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंचउपरांत पेश हो।

(मनीषा)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01,
एटा।

<u>दिनांकः 01.04.2026</u>

लंचउपरांत पत्रावली पुनः पेश हुयी। अभियुक्त तथा विशेष लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के कब्जे से नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद हुआ है और कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह बहुत गरीब आदमी है, वर्तमान में एटा जेल में है, उसका कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है, उसे माफ कर दिया जाय, भविष्य में गलती नहीं होगी तथा उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय और जिला कारागार में बिताये गये अवधि से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त जिला कारागार, एटा में निरूद्ध है। अभियुक्त लगभग एक वर्ष पाँच माह से अधिक की अवधि जिला कारागार, एटा में बिता चुका है। जेल से कोई प्रतिकूल आख्या उसके आचरण की प्राप्त नहीं हुई है। अभियुक्त द्वारा कोई पैरवी करने

वाला न होना कथन किया है। अभियुक्त की आयु लगभग 50 वर्ष है और वह एक वर्ष पाँच माह से अधिक की अवधि जिला कारागार में निरुद्ध रह चुका है। अतः अभियुक्त की अवस्था, बरामद माल की मात्रा, दौरान विचारण उसके आचरण को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में अभियुक्त संतरा बंजारा को धारा 8/22(ख) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत एक वर्ष पाँच माह के कठोर कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त **संतरा बंजारा पुत्र खानू, निवासी- कुचैला, थाना- दन्नाहार, जिला- मैनपुरी** को धारा- 8/22(ख) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत एक वर्ष पाँच माह के कठोर कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

2. अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाती है तथा उसके जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3. बरामद माल बाद मियाद अपील अवधि नियमानुसार नष्ट किया जाय।

4. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदत्त की जाय।

5. धारा 365 द०प्र०सं० के अनुपालन में निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट एटा को प्रेषित की जाय।

6. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. सजायावी वारण्ट जिला कारागार, एटा प्रेषित हो।

(मनीषा)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01,
एटा।

<u>दिनांकः 01.04.2026</u>

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(मनीषा)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01,
एटा।

<u>दिनांकः 01.04.2026</u>